

ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਪਕਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2013-14

निदेशक मंडल / Board of Directors



जगजित सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जगजित सिंह, आई.आई.टी. मुंबई, ए.एस.
Chairman & Managing Director
Shri Jagjit Singh, I.I.T. Mumbai, I.A.S.



अखिलेश्वरी प्रियंका
श्री विश्वेश कुमार गर्गी
Executive Director
Shri Kishore Kumar Gargi



अखिलेश्वरी प्रियंका
श्री महेश कुमार जैन
Executive Director
Shri Mahesh Kumar Jain



श्री कृष्ण जी. दास
Shri K. C. Das



श्री प्रदीप के. जेन
Shri Pradip K. Jena



श्री महेश गुप्ता
Shri Mahesh Gupta



श्री सुखरज पाल गुल्बडा
Shri Sukhraj Pal Gulbada



श्री एन. राजेश्वर
Shri N. Rajeshwar



श्री सुनील दत्ता
Shri Sunish Datta



श्री सनील कुमार अरोड़ा
Shri Sanjay Kumar Arora



श्री सनील वर्मा
Shri Sanjay Verma



श्री अनिता कामनागर
Shri Anita Kamnagar



श्री एस.पी.एस. वर्मा
Shri S. P. S. Verma

विषय—सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4—31
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	32—61
5. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	62—119
6. बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel-II & Basel-III	120—201
6. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	202—269
तुलन-पत्र / Balance Sheet	202—203
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	202—205
अनुसूचियाँ / Schedules	206—263
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	264—265
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	266—269
7. घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा) / नामांकन फार्म Format Of Declaration (By Candidate)/ Nomination Form	270—279
8. प्रॉक्सी फार्म / Proxy Form	280—283
9. उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	284—285

ਉਲੇਖਨੀਯ ਤਥਯ / Highlights

ਰੁਪਏ ਲਾਖਾਂ ਮੈਂ / Rupees. in lacs
as on 31.03.2014 ਕੋ

1. ਜਮਾ Deposits	8473016
2. ਸਕਲ ਅਗ੍ਰਿਮ Gross Advances	5785774
3. ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕੇਤਰ ਅਗ੍ਰਿਮ Priority Sector Advances	1770102
4. ਸਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ Gross Investments	2834661
5. ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਲਾਭ Net Profit	30063
6. ਆਸਤਿਯੋਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਫਲ(%) Return on Assets (%)	0.35%
7. ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਐਨਪੀਐ ਅਨੁਪਾਤ(%) Net NPA Ratio (%)	3.35%
8. ਪੂੰਜੀ ਪਰਯਾਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (%) (ਬਾਸੇਲ-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.10%
9. ਪੂੰਜੀ ਪਰਯਾਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (%) (ਬਾਸੇਲ-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.04%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director
Shri Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री किशोर कुमार साँसी
Executive Director
Shri Kishore Kumar Sansi

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Shri Mukesh Kumar Jain

निदेशक Directors

श्री एस.सी. दास Shri S. C. Das	श्री प्रदीप्त के जेना Shri Pradipta K. Jena	श्री महेश गुप्ता Shri Mahesh Gupta	श्री सुखेन पाल बबूता Shri Sukhen Pal Babuta
श्री एन.राजेन्द्रन Shri N. Rajendran	श्री सुरेश ठाकुर Sh Suresh Thakur	श्री संजीव कुमार अरोड़ा Shri Sanjiv Kumar Arora	श्री संजय वर्मा Shri Sanjay Verma
श्रीमति अनीता कर्णावर Smt. Anita Karnavar	श्री एस.पी.एस. विर्क Shri S. P. S. Virk		

महाप्रबंधक General Managers

श्री जी.एस.सचदेवा Shri G. S. Sachdeva	श्री एम.जी.श्रीवास्तव Shri M. G. Srivastava	श्री जी.एस.सेठी Shri G. S. Sethi	श्री आई.एस.भाटिया Shri I. S. Bhatia
श्री हर्ष बीर सिंह Shri Harsh Bir Singh	श्री दीपक मैनी Shri Deepak Maini	श्री एस.पी.एस.कोहली Shri S. P. S. Kohli	श्री आर.सी. नारायण Shri R. C. Narayan
श्री जी.एस. ढल्ल Shri G. S. Dhall	श्री डी.डी. शर्मा Shri D. D. Sharma	श्री वीरेन्द्र गुप्ता Shri Varinder Gupta	श्री एस.सी.क्वात्रा Shri S. C. Kwatra
श्री वाई.के. वर्मा Shri Y. K. Verma			

लेखा परीक्षक Auditors

मैसर्स आर.एम.लाल एण्ड कं.
M/s R.M.Lall & Co.

मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कं.
M/s O.P.Tulsyan & Co.

मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कं.
M/s B.K.Shroff & Co.

मैसर्स आर. कोठारी एण्ड कं.
M/s R.Kothari & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली -110003 में सोमवार, 30 जून 2014 को प्रातः 9.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

1. बैंक के 31 मार्च 2014 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु ।
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश का अनुमोदन व घोषणा ।
3. केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने, जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2008, नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008, डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 95/29.39.001/2010. 2011 के तहत वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा निम्न प्रस्ताव पारित करने के लिए.

“पारित किया गया कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित दो निदेशकों जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, योजना तथा इसके पश्चात बनाए गए विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में एतद् द्वारा इन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जोकि इस बैठक की तिथि से कार्यभार संभालेंगे तथा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के पूरा होने तक कार्यभार संभाले रहेंगे”।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वा.सा.बैठक में घोषित अंतिम लाभांश यदि कोई है तो को प्राप्त करने वाले शेयर धारकों की पात्रता की निश्चिता के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने के लिए जो बैंक के दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे (नामित करने, चुनाव लड़ने तथा वोट/ई.वोट करने) तथा ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने जो चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के ऐजन्डा की चौथी मद पर वोट/ई.वोट देने के पात्र होंगे के लिए 30 मई 2014 अंतिम तिथि निर्धारित की है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: मई 19, 2014

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

**Head Office: 21-Rajendra Place,
New Delhi-110 008.**

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003 on Monday, the 30th June, 2014 at 9.00 a.m. for transacting the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit & Loss account for the year on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare final dividend for the financial year 2013-14.
3. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 14.06.2014 to 30.06.2014 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive final dividend declared, if any, at the Fourth AGM.

Further, the Bank has fixed Friday, May 30, 2014 as 'Cut-off' Date for ascertaining the shareholders who will be entitled to participate (to nominate, contest and vote/e-vote) in the election of two shareholder directors of the Bank and to ascertain the shareholder who will be entitled to participate in voting/e-voting on the agenda items of 4th AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 19th May 2014

Jatinderbir Singh

Chairman & Managing Director

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 3 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:

एजेन्डा मद संख्या 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी (केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2014 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु.275.28 करोड़ थी, जिसका 81.42% भारत सरकार के स्वामित्व में तथा शेष 18.58% अन्य के स्वामित्व में है। धारा 9(3) (i) के पैरा (II) के प्रावधानों के अनुसार बैंक को शेयरधारकों द्वारा उनमें से चयन किए जाने वाले दो निदेशकों को निदेशक मण्डल में शामिल करना अपेक्षित होगा। दिनांक 03.06.2011 को शेयरधारकों में से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित निदेशकों की समय-सीमा दिनांक 02.06.2014 को समाप्त हो रही है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 10.05.2014 की अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया द्वारा शेयरधारकों में से दो निदेशकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक, उस तिथि से जब वह निर्वाचित हुआ है या निर्वाचित समझा गया है कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा / होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखित संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक -डी) तभी प्रभावी होगा जब वह बैंक के शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे अथवा बैंक के कार्यघंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाए। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा रजिस्टर्ड है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे या इससे पहले शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 प्राप्त हो जानी चाहिए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पर्वी तथा प्रवेश पास:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 30.06.2014 को प्रातः 8.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, *inter alia*, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2014 was Rs. 275.28 crores of which 81.42% is held by the Govt. of India while 18.58% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 03.06.2011 from amongst the shareholders, for a period of three years, completed their term on 02.06.2014.

The Board of Directors in their meeting dated 10.05.2014 has decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'D') in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday).

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.00 a.m.

आरंभ होगा। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है। शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास अनुबंध “ई” पर संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों/ अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी /अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्राक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्राक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा, और उनको वैध पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र /नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

5. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से पंजीकृत पते, ई-मेल पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेन्ट को निम्न पते पर दी जाए:

लिनक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, कम्प्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल,

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ I

नजदीक पी.वी.आर.नारायणा

नई दिल्ली-110028

फोन: 011 41410592, 41410593 email-delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तन अपने डिपॉजिटॉरी सहभागी को सूचित करें।

6. रजिस्ट्रारों का बंद होना:

बैंक के शेयर धारकों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण बही दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक द्वारा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु बंद रहेंगे।

7. दो निदेशकों का निर्वाचन करने तथा अन्य एजेण्डा मदों के लिए वोट / ई-वोट देने तथा चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम तिथि (कट ऑफ तिथि) :

जिन शेयर धारकों का नाम कारोबारी घंटों अर्थात् 30.05.2014 (जो “अंतिम तिथि” के रूप में मानी जाएगी) को एन.एस.डी.एल/सी.डी.एस.एल. द्वारा उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों / लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रार पर हैं, को शेयरधारकों के मध्य से, अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और निदेशकों के चुनाव में वोट / ई-वोट देने के लिए, केंद्रीय सरकार तथा एजेण्डा मदों के अतिरिक्त सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 10.05.2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्येक 10/- रूपए के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश 0.60 रूपए (केवल साठ पैसे) (16.01.2014 को घोषित तथा 31.01.2014 को प्रदत्त अंतिम लाभांश 1.60 रूपए प्रति शेयर को छोड़कर) की सिफारिश की। निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति तथा चौथी सामान्य बैठक के अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

क. दिनांक 13.06.2014 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लि. (एनडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 13.06.2014 के कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् लिनक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग. चौथी वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।